

Order Sheet [Contd]

Case No 25 /16 ba Cr.P.C....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
24-12-16	<p>शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक उपस्थित ।</p> <p>पुलिस थाना गोहद के उपनिरीक्षक एन0एल0शाक्य के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण से संबंधित केश डायरी मय केफियत के पेश की ।</p> <p>आवेदक/आरोपी हरिकण्ठ सिंह गुर्जर पुत्र जनवेद सिंह गुर्जर अधिवक्ता श्री मनोज श्रीवास्तव तथा श्री के0पी0राठोर अधिवक्ता सहित उपस्थित ।</p> <p>केफियत एवं केश डायरी का अवलोकन किया गया । वर्तमान आवेदक/आरोपी पुलिस थाना गोहद के अपराध क्रमांक 325/16 धारा 354 एवं लेगिंग अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम की धारा 2012 की धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध है और प्रकरण में वांछित है । आरोपी की ओर से धारा 44(2)जा0फो0 का पेश कर समर्पण स्वीकार किये जाने वाबत् पेश किया गया है ।</p> <p>विचारोपरान्त आरोपी जो कि अपराध में वांछित है एवं जिसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायालय में उपस्थित हुआ है । उक्त आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया ।</p> <p>पुलिस थाना गोहद के उप निरीक्षक के द्वारा एक आवेदनपत्र आरोपी को गिरफ्तार करने की अनुमति वाबत् पेश किया गया ।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । आरोपी जिसके विरुद्ध कि उपरोक्त अपराध पंजीबद्ध है और जिसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश में सीधे न्यायालय में उपस्थित होकर समर्पण किया गया है । उक्त आरोपी को गिरफ्तार करने की अनुमति प्रदान की जाती है । संबंधित पुलिस अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि आरोपी से जो भी पूछताछ करनी हो या जो भी कार्यवाही करनी हो तो उस बारे में बतायें ।</p>	

प्रकरण लंच समय उपरांत पेश हो ।

ए0एस0जे0गोहद

पुनश्च:-

पुलिस थाना गोहद के उप निरीक्षण एम0एल0शाक्य के द्वारा आरोपी हरिकण्ठ की फार्मल गिरफ्तारी कर पत्रक तैयार कर केश डायरी सहित पेश किया गया । उक्त आरोपी से अब कोई पूछताछ करने एवं अन्य कोई कार्यवाही न की जानी व्यक्त की ।

आरोपी हरिकण्ठ की ओर से उसके अधिवक्तागण ने उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 439 पर विचार किये जाने का निवेदन किया ।

आवेदक अधिवक्ता ने सूची दस्तावेज निर्वाचन नामावली की नेट कोपी पेश की ।

उपरोक्त आवेदनपत्र पर फरियादिया पक्ष की ओर से फरियादिया सहित उपस्थित होकर श्री अरविंद शर्मा अधिवक्ता के द्वारा आरोपी की जमानत पर आपत्ती पेश की गयी साथ में फरियादिया के शपथपत्र और दस्तावेज पेश किये गये ।

आरोपी/आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 439 द0प्र0सं0 में इस आशय का निवेदन किया गया है कि उसकी ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत हेतु इस न्यायालय में प्रथम जमानतपत्र है इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत पत्र न ही इस न्यायालय में और न ही उच्च न्यायालय में पेश किये गये हैं और न ही विचाराधीन है ।

आवेदनपत्र में आवेदक की ओर से निवेदन किया गया कि उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया गया है । अपराध पंजीबद्ध होने की जानकारी होने पर उसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष अग्रिम जमानत का आवेदनपत्र पेश किया गया था जो कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इस निर्देश के साथ कि आरोपी के समर्पण करने पर न्यायालय नियमित जमानत आवेदन के संबंध में विचार करेगा, उसके द्वारा न्यायालय में समर्पण कर नियमित जमानत हेतु आवेदनपत्र पेश किया गया है । आवेदक की उम्र 84-85 साल की है और अत्यन्त बृद्ध होकर चलने फिरने में भी असमर्थ है और भला

बुरा समझने और सोचने में भी समर्थ नहीं है । उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है वह मृत्यु दण्ड या आजीवनशासन द्वारा अपराध लोका अभियोजक उपस्थित ।

पुलिस थाना गोहद के उपनिरीक्षक एन०एल०शाक्य के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण से संबंधित केश डायरी मय केफियत के पेश की ।

आवेदक/आरोपी हरिकण्ठ सिंह गुर्जर पुत्र जनवेद सिंह गुर्जर अधिवक्ता श्री मनोज श्रीवास्तव तथा श्री के०पी०राठोर अधिवक्ता सहित उपस्थित ।

केफियत एवं केश डायरी का अवलोकन किया गया । वर्तमान आवेदक/आरोपी पुलिस थाना गोहद के अपराध क्रमांक 325/16 धारा 354 एवं लेगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम की धारा 2012 की धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध है और प्रकरण में वांछित है । आरोपी की ओर से धारा 44(2)जा०फो० का पेश कर समर्पण स्वीकार किये जाने वाबत् पेश किया गया है ।

विचारोपरान्त आरोपी जो कि अपराध में वांछित है एवं जिसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायालय में उपस्थित हुआ है । उक्त आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया ।

पुलिस थाना गोहद के उप निरीक्षक के द्वारा एक आवेदनपत्र आरोपी को गिरफ्तार करने की अनुमति वाबत् पेश किया गया ।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । आरोपी जिसके विरुद्ध कि उपरोक्त अपराध पंजीबद्ध है और जिसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश में सीधे न्यायालय में उपस्थित होकर समर्पण किया गया है । उक्त आरोपी को गिरफ्तार करने की अनुमति प्रदान की जाती है । संबंधित पुलिस अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि आरोपी से जो भी पूछताछ करनी हो या जो भी कार्यवाही करनी हो तो उस बारे में बतायें ।

प्रकरण लंच समय उपरान्त पेश हो ।

ए०एस०जे०गोहद

पुनश्च:-

पुलिस थाना गोहद के उप निरीक्षण एम०एल०शाक्य

के द्वारा आरोपी हरिकण्ठ की फार्मल गिरफ्तारी कर पत्रक तैयार कर केश डायरी सहित पेश किया गया । उक्त आरोपी से अब कोई पूछताछ करने एवं अन्य कोई कार्यवाही न की जानी व्यक्त की ।

आरोपी हरिकण्ठ की ओर से उसके अधिवक्तागण ने उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 439 पर विचार किये जाने का निवेदन किया ।

आवेदक अधिवक्ता ने सूची दस्तावेज निर्वाचन नामावली की नेट कोपी पेश की ।

उपरोक्त आवेदनपत्र पर फरियादिया पक्ष की ओर से फरियादिया सहित उपस्थित होकर श्री अरविंद शर्मा अधिवक्ता के द्वारा आरोपी की जमानत पर आपत्ती पेश की गयी साथ में फरियादिया के शपथपत्र और दस्तावेज पेश किये गये ।

आरोपी/आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 439 द0प्र0सं0 में इस आशय का निवेदन किया गया है कि उसकी ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत हेतु इस न्यायालय में प्रथम जमानतपत्र है इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत पत्र न ही इस न्यायालय में और न ही उच्च न्यायालय में पेश किये गये हैं और न ही विचाराधीन है ।

आवेदनपत्र में आवेदक की ओर से निवेदन किया गया कि उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया गया है । अपराध पंजीबद्ध होने की जानकारी होने पर उसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष अग्रिम जमानत का आवेदनपत्र पेश किया गया था जो कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इस निर्देश के साथ कि आरोपी के समर्पण करने पर न्यायालय नियमित जमानत आवेदन के संबंध में विचार करेगा, उसके द्वारा न्यायालय में समर्पण कर नियमित जमानत हेतु आवेदनपत्र पेश किया गया है । आवेदक की उम्र 84-85 साल की है और अत्यन्त बृद्ध होकर चलने फिरने में भी असमर्थ है और भला बुरा समझने और सोचने में भी समर्थ नहीं है । उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है वह मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है । वह प्रकरण के अनुसंधान में सहयोग करने के लिये तत्पर है । न्यायालय की प्रत्येक शर्त का उसके द्वारा पालन किया जायेगा । प्रकरण में अनुसंधान की कार्यवाही भी लगभग पूर्ण हो चुकी है । ऐसी दशा में उसे नियमित

जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया है ।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने विरोध किया

आपत्तीकर्ता की ओर से इस आशय की आपत्ती पेश की गयी है कि आरोपी के द्वारा फरियादिया की नावालिग बच्ची जो कि चार साल की है उसके साथ लेगिंग अपराध किया गया है। जो कि उसे अपना लिंग पकड़ाकर उस नावालिग बच्ची के प्रति उसके द्वारा कृत्य किया गया है। आरोपी के परिवार वाले फरियादिया के परिवार वालों पर राजीनामा करने के लिये दबाव बना रहे हैं । यदि आरोपी जमानत पर छोड़ा जाता है तो वह साक्ष्य को प्रभावित करेगा । आरोपी राजनैतिक प्रभाव एवं प्रभुत्व सम्पन्न जाति का है । उसे जमानत पर छोड़ा जाता है तो उससे गलत संदेश जायेगा । आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । फरियादिया की ओर से थाना गोहद में इस आशय की रिपोर्ट की गयी है कि दिनांक 3-11-16 को

उनके घर के पास उसका लडका उम्र पांच साल का और पीडिता उम्र 4 साल की दिन के तीन बजे खेल रहे थे तभी वह बाहर आयी तो उसने देखा कि तिबरिया के पास आरोपी हरिकण्ठ जो कि धोती पहने थे बच्चों के पास बैठा था और अपनी पेशाब करने का लिंग नावालिग चार साल की बच्ची के हाथ में पकड़ा दिया था । फरियादिया ने जब उससे कहा कि यह क्या कर रहे हो तो आरोपी ने उसे धमकी दी और कहा कि यहां से चले जाओ नहीं तो अपने लडकों से उसे उठवा लेगा । मौके पर उसकी चाची और मौहल्ले की रूखसाना भी आ गयी थी । घटना की रिपोर्ट उसने अपनी नावालिग बच्ची सहित थाना गोहद में दर्ज करायी जिस पर से आरोपी के विरुद्ध धारा 354 भा0द0सं0 एवं लेगिंग अपराधों से बालकों के संरक्षण अधि0 की धारा 9 एवं 10 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी है ।

आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह व्यक्त किया कि आरोपी 85 साल की उम्र का होकर बृद्ध व्यक्ति है । उसे पैसों के लेन देन के कारण द्वेषवश प्रकरण में झूठा लिप्त किया गया है । इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी व्यक्त किया गया कि आरोपी के विरुद्ध कोई ऐसा अपराध भी पंजीबद्ध नहीं है जिससे कि पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया जा सके ।

आपत्तीकर्ता फरियादिया अपनी नावालिग पुत्री सहित न्यायालय में उपस्थित है एवं जमानत आवेदनपत्र का विरोध किया ।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । आरोपी पर यह आक्षेप है कि उसके द्वारा फरियादिया के नावालिग पुत्री जो कि चार साल की उम्र की है उसे अपना लिंग पकड़वाया गया ।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि फरियादिया ने घटना के पश्चात् बिना किसी बिलम्ब के घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी है । जिसमें कि आरोपी के द्वारा किये गये कृत्य के संबंध में स्पष्ट रूप से लेख कराया है । यद्यपि आरोपी 85 साल की उम्र का होना बताया गया है । किन्तु मात्र इस आधार पर कि आरोपी अधिक उम्र का है उस पर आरोपित कृत्य की प्रकृति जो कि एक 4 साल की नावालिग बच्ची के संबंध में उसके द्वारा लैंगिक अपराध किये जाने का उस पर आक्षेप लगाया गया है । इस प्रकार की कोमल मानसिकता वाले बालकों पर निश्चित रूप से इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा । इस परिप्रेक्ष्य में मात्र इस आधार पर कि आरोपी अधिक उम्र का है, प्रकरण जो कि अभी विवेचना के अधीन है और इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आरोपी एवं उसके परिवार वाले साक्षियों को प्रभावित करेंगे । आरोपी के द्वारा स्वतः ही न्यायालय में उपस्थित होकर समर्पण किया गया है । ऐसी दशा में यह तर्क कि आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता मान्य किये जाने योग्य नहीं है ।

विचारोपरान्त आवेदक/आरोपी पर लगाये गये आक्षेप की प्रकृति को देखते हुये एवं प्रकरण की अपूर्ण विवेचना को देखते हुये आरोपी की जमानत स्वीकार किया जाना उचित नहीं है । अतः उसकी ओर से पेश आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 439 जा0फो0 निरस्त किया जाता है । आरोपी का जैल बारंट बनाया जाकर उसे जैल गोहद भेजा जाये ।

प्रकरण अभियोग पत्र पेश करने एवं आरोपी की उपस्थिति हेतु दिनांक को पेश हो ।

अपर सत्र न्यायाधीश गोहद कारावास से दण्डनीय नहीं है । वह प्रकरण के अनुसंधान में सहयोग करने के लिये तत्पर है । न्यायालय की प्रत्येक शर्त का उसके द्वारा पालन

किया जायेगा । प्रकरण में अनुसंधान की कार्यवाही भी लगभग पूर्ण हो चुकी है । ऐसी दशा में उसे नियमित जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया है ।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने विरोध किया

आपत्तीकर्ता की ओर से इस आशय की आपत्ती पेश की गयी है कि आरोपी के द्वारा फरियादिया की नावालिग बच्ची जो कि चार साल की है उसके साथ लेगिंग अपराध किया गया है।जो कि उसे अपना लिंग पकडाकर उस नावालिग बच्ची के प्रति उसके द्वारा कृत्य किया गया है। आरोपी के परिवार वाले फरियादिया के परिवार वालों पर राजीनामा करने के लिये दबाव बना रहे हैं । यदि आरोपी जमानत पर छोड़ा जाता है तो वह साक्ष्य को प्रभावित करेगा । आरोपी राजनैतिक प्रभाव एवं प्रभुत्त सम्पन्न जाति का है । उसे जमानत पर छोड़ा जाता है तो उससे गलत संदेश जायेगा । आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया ।प्रकरण का अवलोकन किया गया । फरियादिया की ओर से थाना गोहद में इस आशय की रिपोर्ट की गयी है कि दिनांक 3-11-16 को

उनके घर के पास उसका लडका उम्र पांच साल का और पीडिता उम्र 4 साल की दिन के तीन बजे खेल रहे थे तभी वह बाहर आयी तो उसने देखा कि तिबरिया के पास आरोपी हरिकण्ठ जो कि धोती पहने थे बच्चों के पास बैठा था और अपनी पेशाब करने का लिंग नावालिग चार साल की बच्ची के हाथ में पकडा दिया था । फरियादिया ने जब उससे कहा कि यह क्या कर रहे हो तो आरोपी ने उसे धमकी दी और कहा कि यहां से चले जाओ नहीं तो अपने लडकों से उसे उठवा लेगा । मौके पर उसकी चाची और मौहल्ले की रूखसाना भी आ गयी थी । घटना की रिपोर्ट उसने अपनी नावालिग बच्ची सहित थाना गोहद में दर्ज करायी जिस पर से आरोपी के विरुद्ध धारा 354 भा0द0सं0 एवं लेगिंग अपराधों से बालकों के संरक्षण अधि0 की धारा 9 एवं 10 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी है ।

आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह व्यक्त किया कि आरोपी 85 साल की उम्र का होकर बृद्ध व्यक्ति है । उसे पैसों के लेन देन के कारण द्वेषवश प्रकरण में झूठा लिप्त किया गया है । इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी व्यक्त किया गया

कि आरोपी के विरुद्ध कोई ऐसा अपराध भी पंजीबद्ध नहीं है जिससे कि पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया जा सके ।

आपत्तीकर्ता फरियादिया अपनी नावालिग पुत्री सहित न्यायालय में उपस्थित है एवं जमानत आवेदनपत्र का विरोध किया ।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । आरोपी पर यह आक्षेप है कि उसके द्वारा फरियादिया के नावालिग पुत्री जो कि चार साल की उम्र की है उसे अपना लिंग पकड़वाया गया ।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि फरियादिया ने घटना के पश्चात् बिना किसी बिलम्ब के घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी है । जिसमें कि आरोपी के द्वारा किये गये कृत्य के संबंध में स्पष्ट रूप से लेख कराया है । यद्यपि आरोपी 85 साल की उम्र का होना बताया गया है । किन्तु मात्र इस आधार पर कि आरोपी अधिक उम्र का है उस पर आरोपित कृत्य की प्रकृति जो कि एक 4 साल की नावालिग बच्ची के संबंध में उसके द्वारा लैंगिक अपराध किये जाने का उस पर आक्षेप लगाया गया है । इस प्रकार की कोमल मानसिकता वाले बालकों पर निश्चित रूप से इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा । इस परिप्रेक्ष्य में मात्र इस आधार पर कि आरोपी अधिक उम्र का है, प्रकरण जो कि अभी विवेचना के अधीन है और इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आरोपी एवं उसके परिवार वाले साक्षियों को प्रभावित करेंगे । आरोपी के द्वारा स्वतः ही न्यायालय में उपस्थित होकर समर्पण किया गया है । ऐसी दशा में यह तर्क कि आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता मान्य किये जाने योग्य नहीं है ।

विचारोपरान्त आवेदक/आरोपी पर लगाये गये आक्षेप की प्रकृति को देखते हुये एवं प्रकरण की अपूर्ण विवेचना को देखते हुये आरोपी की जमानत स्वीकार किया जाना उचित नहीं है । अतः उसकी ओर से पेश आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 439 जा0फो0 निरस्त किया जाता है । आरोपी का जैल बारंट बनाया जाकर उसे जैल गोहद भेजा जाये ।

प्रकरण अभियोग पत्र पेश करने एवं आरोपी की उपस्थिति हेतु दिनांक को पेश हो ।

अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

